न्यायालय सहायक कलक्टर पीजी

नन्दिनी मौर्य श्री रामलाल V/S रामेश्वर वगैरा

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
हुक्म	
6-6-18	प्रकरण सं. 51/2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 16-6-2018 को पत्रावली एवं पत्रावलीगत उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत पत्र आवेदिका निवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पत्र के विरोध में कोई औचित्य नहीं होने के कारण विपक्षी के पत्र खारिज किया जाता है। इस प्रकार फैसला मुताबिक डिक्री नम्बर से माने हुए वाद तसफीया पूर्वक तय कराई एवं मूल वाद के संलग्न है। निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में डिक्री की के अनुसार अपील में निष्पादन कार्यवाही हुआ।

सहायक कलक्टर